उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 162/2016/2074/71-1-2016-जी-131/2015
लखनऊ : दिनांक 03 अगस्त, 2016
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध प्रवक्ता, आब्स एण्ड गायनी विशिष्टता में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-262/24/डी0आर0/सेवा-8/2014-15, दिनॉक 16-03-2016 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 19 अभ्यर्थियों को वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड पे रू0 6000/- में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) संबंधित अभ्यर्थी को प्रवक्ता के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) संबधित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियो को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र।
(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र।
(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।
(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
(5) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नही हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

कुमुदलता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या:-162/2016/2074(1)/71-1-2016- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करे।
4- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ, झाँसी, कानपुर, बाँदा, इलाहबाद, आजमगढ़, जालौन, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, बदायूँ ।
5- कोषाधिकारी,/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ, झाँसी, कानपुर, बाँदा, इलाहबाद, आजमगढ़, जालौन, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, बदायूँ ।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, मेरठ, झाँसी, कानपुर, बाँदा, इलाहबाद, आजमगढ़, जालौन, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, बदायूँ ।
7- संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे संबंधित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करके स्वास्थ्य परीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध करायें।
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-162/2016/2074/71-1-2016-जी-131/2015

दिनांक 03 अगस्त, 2016 का संलग्नक:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम तथा अनुक्रमांक	पत्र व्यवहार का पता	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज का नाम जहॉ तैनाती की गयी है।
1	डा0 शक्ति जैन (अनु0-52020216268)	61, लाउदर रोड, इलाहाबाद, उ0प्र0 ।	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा।
2	डा0 सरिता राजभर (अनु0-52050418988)	सी0-1/465, से0-जी0, जानकीपुरम, लखनऊ ।	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
3	डा0 श्वेता पटेल (अनु0-52050244435)	486/411, ई0 बक्शी खुर्द, दारागंज, इलाहाबाद ।	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4	डा0 निधि सचान (अनु0-52050626523)	एम0-2, ए0-66, ए0डी0ए0 कालोनी, नैनी, इलाहाबाद।	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
5	डा0 उर्वशी भारद्वाज मिश्रा (अनु0-52020297458)	सेक्टर- बी0-मयूर विहार, कालोनी अपो0- मेडिकल कालेज, गेट नं0-2, झॉसी, उ0प्र0 ।	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
6	डा0 उरूज जहॉ (अनु0-52050234702)	17/71, ए0 नवाब, कम्पाउण्ड , टेलीग्राफ रोड, द-माल, कानपुर उ0प्र0 208001	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
7	डा0 मोनिका कश्यप (अनु0-52030016782)	डी0-324, शास्त्री नगर, मेरठ, उ0प्र0।	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
8	डा0 ऋचा गुप्ता (अनु0-52020687809)	1/23, रमेश नगर, द्वितीय तल, नई दिल्ली, 110015	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
9	डा0 अमृता गौरव (अनु0-52050053286)	1342/1 सिविल लाइन, जोखनबाग, झॉसी, उ0प्र0 284001	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
10	डा0 वन्दना सोलंकी (अनु0-52050241331)	द्वारा- डा0 जी0के0 पाठक 1/ई0 चर्च लेन, इलाहाबाद, उ0प्र0 211002	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर।
11	डा0 सुधा गंगावार (अनु0-52050481832)	फ्लैट नं0-3, ब्लाक-2, टाइप-4, राजकीय मेडिकल कालेज, उरई, जालौन उ0 प्र0 285001	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
12	डा0 दिव्या सिंह (अनु0-52050388164)	55- रोहतास इन्क्लेव रवीन्द्र पल्ली, फैजाबाद रोड, लखनऊ 226016	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13	डा0 रजनी गौतम (अनु0-52030086189)	द्वारा डा0 डी0एल0 गौतम, गौतम हास्पिटल, मेन रोड, हंसारी, झॉसी उ0प्र0 284134	राजकीय मेडिकल कालेज, झॉसी ।
14	डा0 वन्दना ओझा (अनु0-52020328208)	892, ए0 बैरी, बिठूर रोड, कल्यानपुर, कानपुर, उ0प्र0 208017	राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
15	डा0 रमोना परिहार (अनु0-52020193976)	गायत्री हास्पिटल 3/1ए0 तुलारामबाग, इलाहाबाद।	राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
16	डा0 प्रतिमा वर्मा (अनु0-52050693339)	532/449-सी0, बनारसी टोला, अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0 226024	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
17	डा0 पाविका लाल (अनु0-52030105925)	एल0-8 जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर 208002	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
18	डा0 सुचेता राजपूत (अनु0-52050243296)	टाइप-4/7 एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, कैम्पस, झॉसी उ0प्र0 ।	राजकीय मेडिकल कालेज, झॉसी ।
19	डा0 प्रीति त्यागी (अनु0-52030332689)	म0 नं0- 512/14, 8 लेन, निशातगंज, लखनऊ, उ0प्र0 226007	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।